UPBL010024772026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बलिया।

जमानत प्रार्थना पत्र सं0-1015/2026

अभिनव सिंह पुत्र नीरज सिंह, साकिन- सुखपुरा, थाना-सुखपुरा, जिला-बलिया । ....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ....विपक्षी

मु0 अ 0 सं0-137/2026
धारा-109(1),3(5) बी०एन०एस०
थाना-बांसडीह कोतवाली, जनपद-बलिया।

दिनांक 19.06.2026

1- यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रार्थी/अभियुक्त अभिनव सिंह की ओर से मुकदमा अपराध सं0- 137/2026 अंतर्गत धारा-109(1),3(5) बी०एन०एस०, थाना-बांसडीह कोतवाली, जनपद-बलिया में प्रस्तुत किया गया है।

2- प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से शपथकर्ता नीरज कुमार सिंह ने इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र मा0 उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत की गई है, न निरस्त हुई है और न ही लंबित है।

3- प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौ0 को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

4- संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 14.05.2026 को प्र०नि० राकेश कुमार सिंह अपने हमराहयान कर्मचारीगण के साथ देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म जमरायम, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वाहन चेकिंग, तलाश वांछित/वारण्टी, सांय गस्त, पेण्डिक विवेचना रात्रि भ्रमण हेतु रवाना होकर क्षेत्र में मामूर थे कि जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि पांच व्यक्ति पालिटैक्निक स्कूल हुसैनाबाद के पास बड़ा पोखरा के भीटा पर बैठे हुए आपस में चोरी की योजना बना रहे है । मुखबिर की सूचना पर तथाकथित स्थान पर जा कर जैसे ही चोरी की योजना बना रहे बदमाशों की घेराबन्दी की तभी बदमाशों द्वारा असलहा निकालकर जान से मारने की नियत से पुलिस बल पर फायरिंग की जाने लगी । प्रभारी निरीक्षक द्वारा आत्मरक्षार्थ अपनी सरकारी 9 एम०एम० पिस्टल से एक राउण्ड फायर किया गया तो एक बदमाश की कराहने की आवाज आयी तथा अन्य बदमाश भागने लगे । भागते हुए बदमाशों को मौके पर 10-12 कदम दौड़ाकर मौजूद पूलिस बल द्वारा पकड़ लिया गया । जमीन पर गिरे बदमाश के करीब जाकर टार्च की रोशनी में देखा गया तो एक बदमाश जमीन पर गिर कर कराह रहा था तथा बाएं पैर से खून बह रहा था तथा उसके दाहिने बगल में हाथ के पास एक अदद तमंचा जमीन पर पड़ा था । पकड़े गए पाचों बदमाशों से बारी-बारी नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो घायल बदमाश ने अपना नाम विशाल भारद्वाज उर्फ अच्छे राजभर पुत्र शिव बचन निवासी ग्राम सुखपुरा थाना सुखपुरा जिला बलिया बताया, जिसके दाहिने हाथ के पास से एक अदद .315 बोर, एक अदद खोखा कारतूस .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ । जामा तलाशी से पहले जिन्स की बांयी जेब से एक अदद एन्ड्राइड ओपो ए 18 मोबाइल व 150 रूपए बरामद हुआ । पकड़े गए दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम रोहन सिंह पुत्र धनन्जय सिंह निवासी ग्राम सुखपुरा थाना सुखपुरा जिला बलिया बताया, जिसकी जामा तलाशी से पहने जिन्स की बांयी फेंट से एक अदद तमंचा .315 बोर व पैंट के दाहिने जेब से एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस .315 बोर तथा एक अदद एन्ड्राइड रैडमी मोबाइल व 40 रूपए बरामद हुआ । तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम अभिवन सिंह पुत्र नीरज सिंह निवासी ग्राम सुखपुरा थाना सुखपुरा जिला बलिया बताया, जिसके पहने लोअर की दायी जेब से एक अदद एन्ड्राइड मोबाइल वीवो क्रीम कलर का तथा दाहिनी जेब से 70 रूपए बरामद हुआ । चौथे व्यक्ति ने अपना नाम मनीष कुमार पुत्र भुभनाथ राम निवासी ग्राम सुखपुरा थाना सुखपुरा जनपद बलिया बताया जिसके पहने लोअर की बांयी जेब से एक अदद मोबाइल वीवो हल्की मेहन्दी कलर तथा बांये जेब से 120 रूपए बरामद हुआ । पांचवे व्यक्ति ने अपना नाम विशाल भारद्वाज पुत्र स्व० हरिवंश भारद्वाज निवासी ग्राम सुखपुरा थाना सुखपुरा जनपद बलिया बताया जिसकी जामा तलाशी से पहने हाफ लोअर की दाहिने जेब से एक अदद चाकू नाजायज तथा बांयी जेब से एक अदद मोबाइल एन्ड्राइड बरंग क्रीम का तथा बांए जेब से 200 रुपए बरामद हुआ तथा मौके से तीन अदद मोटरसाइकिल बरामद हुई । उक्त फर्द गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त एवं सह अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त अभियोग पंजीकृत किया गया । मामला विवेचनाधीन है ।

5- प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। आवेदक के पास से किसी भी तरह की नाजायज वस्तु की

Digitally signed by Pratham Kant
Date: 2026.06.20 15:47:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

बरामदगी नहीं हुई है । आवेदक के पुत्र का सतईसा तथा नामकरण संस्कार दिनांक 15.05.2026 को होना था और उसी कार्यक्रम हेतु सब्जी एवं अन्य सामान लाने हेतु आवेदक रोहन सिंह के साथ केवरा सब्जी बाजार गया था । केवरा थोक सब्जी बाजार से ही पुलिस के लोग आवेदक एवं सह अभियुक्त रोहन सिंह को थाना बांसडीह पर ले जाकर झूठा मुकदमा बना कर आवेदक के गांव के अन्य सह अभियुक्तगण मनीष कुमार, विशाल भारद्वाज, विशाल भारद्वाज उर्फ अच्छे राजभर के साथ आवेदक के गांव के विपक्षीगण के साजिश में होकर गलत तौर पर अभियुक्त बनाकर और गलत फर्द बरामदगी तैयार कर अन्य सह अभियुक्तगण के साथ उपरोक्त मुकदमे में अभियुक्त बनाकर चालान कर दिया गया है । तथाकथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है । आवेदक एक्सिस बैंक धनोरा तहसील मुलाना जिला अम्बाला हरियाणा में नौकरी करता है तथा अपने पुत्र के सतईसा एवं नामकरण संस्कार हेतु गांव पर आया हुआ था। आवेदक दिनांक 15.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़ दिया जाय।

6- राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने तर्क दिया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ एक राय होकर जान से मारने की नियत से पुलिस कर्मचारीगण पर फायर किया गया, जिससे पुलिस कर्मचारीगण बाल-बाल बच गए एवं प्र०नि० राकेश कुमार सिंह द्वारा आत्मरक्षार्थ अपनी सरकारी 9 एम०एम० पिस्टल से एक राउण्ड फायर किया गया जो सह अभियुक्त विशाल भारद्वाज उर्फ अच्छे राजभर पुत्र शिव बचन के पैर में लगी एवं अन्य अभियुक्तगण को भी मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया । जिनके पास से चोरी की मोटरसाइकिल एवं असलहा बरामद हुआ है । प्रार्थी/अभियुक्त का अपराध गंभीर प्रकृति का है। उक्त आधारों पर जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

7- पक्षों के तर्को के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों, इस स्तर तक केस डायरी में अंकित साक्षीगण के बयान आदि संकलित साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ एक राय होकर जान से मारने की नियत से पुलिस कर्मचारीगण पर फायर किया गया, जिससे पुलिस कर्मचारीगण बाल-बाल बच गए एवं प्र०नि० राकेश कुमार सिंह द्वारा आत्मरक्षार्थ अपनी सरकारी 9 एम०एम० पिस्टल से एक राउण्ड फायर किया गया जो सह अभियुक्त विशाल भारद्वाज उर्फ अच्छे राजभर पुत्र शिव बचन के पैर में लगी एवं प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य अभियुक्तगण को भी मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया । प्रार्थी/अभियुक्त के पास से एक मोबाइल व 70 रूपए बरामद किए जाने का अभियोजन कथानक है । कथित गिरफ्तारी एवं बरामदगी का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है । किसी भी पुलिस कर्मी को फायर आर्म की कोई चोट नहीं है । प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 15.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है । प्रकरण अभी विवेचनाधीन है ।

8- अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति आदि को दृष्टिगत रखते हुए, गुणावगुण पर कोई निश्चयात्मक मत व्यक्त किए बिना, प्रार्थी/अभियुक्त को सशर्त जमानत पर अवमुक्त किए जाने का पर्याप्त आधार है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त अभिनव सिंह का उपरोक्त जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। मा० उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **बच्ची देवी बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य,** न्यूट्रल साइटेशन 2025 ए०एच०सी० 136034 में पारित आदेश दिनांकित 12.08.2025 के पैरा-46 में दिए गये निर्देश के अनुक्रम में प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त को संबंधित मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि के अधीन 1,00,000/-रूपये (एक लाख रूपये) का स्वबन्धपत्र व उसी धनराशि के एक प्रतिभू एवं निम्न आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करने पर दौरान विचारण जमानत पर छोड़ा जाए-

1. प्रार्थी/अभियुक्त निष्पादित बन्धपत्र में वर्णित शर्तों के अनुसार विवेचना/न्यायालय की कार्यवाही में प्रतिभाग करेगा,
2. प्रार्थी/अभियुक्त वर्णित अपराध जैसे किसी अपराध में लिप्त नहीं होगा,
3. प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके,
4. प्रार्थी/अभियुक्त विचारण के दौरान साक्षी के परीक्षण हेतु उपस्थित होने की दशा में कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेगा,
5. प्रार्थी/अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय की वॉछा पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

किसी भी शर्त का उल्लघंन होने की स्थिति में प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत निरस्त करने के लिए विचारण न्यायालय स्वतन्त्र होगी।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाए।

इस आदेश की एक सॉफ्ट कॉपी आज ही ई-मेल द्वारा सम्बन्धित जेल अधीक्षक के माध्यम से प्रार्थी/अभियुक्त को प्रेषित की जाए।

दिनांकः 19.06.2026 प्रभारी सत्र न्यायाधीश
Steno-R.K.Yadav बलिया ।